

भारत का सर्वाधिक प्रसारित हिन्दी दैनिक



“कलम, बलिदान और स्वाभिमान की परिभाषा”



संस्थापक : शहीद शिरोमणि लाला जगतनाथराज जी एवं अमर शहीद रमेश चन्द्र जी

पंजाब केसरी

युवा भारत युवा अखबार

fb/punjabkesarinternational



punjabkesari.com



twitter@punjabkesarinat

गुरुवार, 15 दिसम्बर 2016 ♦ दिल्ली ♦ तदनुसार 30 मार्गशीर्ष 2073 LD ****

कार्पोरेट, समृद्धि, वित्त, लाभ-हानि, शेयर, मंडी 15 दिसम्बर, 2016 ▶ गुरुवार

व्यापार

13

राज्यसभा में दिव्यांगजन विधेयक ध्वनिमत से पारित

नई दिल्ली, (वार्ता): दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव करने को दंडनीय बनाने और संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुरूप निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016 को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोट ने विधेयक पर सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इससे दिव्यांगजनों के लिए समाज में सम्माननीय स्थान बनाने में मदद मिलेगी। पहली बार विधेयक में दिव्यांगों के साथ भेदभाव करने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक को 120 सरकारी संशोधनों के साथ सर्वसम्मति से पारित किया गया। विधेयक में दिव्यांगों की श्रेणी में वृद्धि की गयी है।